संoसं09 / आ0–4–17 / 2004

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

सिविल सर्जन, खगड़िया द्वारा अपने पत्रांक 1644 दिनांक 27.04.2004 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डॉ0 जमीरुद्दीन अहमद, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, एम0 जे0 के0 अस्पताल, बेतिया सम्प्रति सिविल सर्जन कार्यालय, खगड़िया बाढ़ राहत कार्यो में प्रतिनियुक्ति के उपरान्त योगदान नहीं कर अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित है। इन आरोपो के लिए डॉ0 अहमद के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या 1690(9) दिनांक 24.09.2004 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। तदुपरान्त विभागीय पत्रांक 908(9) दिनांक 28.06.2005 द्वारा पूरक आरोप पत्र भी शामिल किया गया, जिसमे अगस्त 1996 से जून 2004 तक विदेश में नियोजित रहने तथा दिनांक– 24.06.2004 को योगदान के उपरान्त पुनः अनुपस्थित रहने का आरोप शामिल किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप को प्रमाणित पाया गया।

3. विभागीय पत्रांक 1249(9) दिनांक 15.11.2006, पत्रांक 1078(9) दिनांक 23.10.2007, पत्रांक 575(9) दिनांक 15.05.2008, पत्रांक 1205(9) दिनांक 13.09.2013 एवं पत्रांक 930(9) दिनांक 03.11.2015 द्वारा डा0 अहमद से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

4. डा0 अहमद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में स्वयं स्वीकार किया गया कि वे 1996 से दिनांक– 24.06.2004 तक अनुपस्थित थे और विदेश में रह रहे थे।

5. डॉ0 जमीरुद्दीन अहमद के विरूद्ध 05 वर्षो से अधिक लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति का आरोप प्रमाणित है, अतएव उन्हें बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया तथा इस पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त की गई।

6. डॉ0 जमीरुद्दीन अहमद, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, एम0 जे0 के0 अस्पताल, बेतिया सम्प्रति सिविल सर्जन कार्यालय, खगड़िया को लगातार पाँच वर्षो से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः–संकल्प की प्रति डा0 जमीरुद्दीन अहमद एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: 285(9) / स्वा0, पटना , दिनांक: 03/03/2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना / अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी प0 चम्पारण / खगड़िया / क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर / तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर / सिविल सर्जन प0 चम्पारण,बेतिया / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डॉ0 जमीरुद्दीन अहमद, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, एम0 जे0 के0 अस्पताल, बेतिया सम्प्रति सिविल सर्जन कार्यालय, खगड़िया पता–बैतुल अम्मान, बारीपथ, महेन्द्रू, शरीफ कालोनी, पटना–800006को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना / सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव / प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

D:\Sweta\Section-9-01-11-12\SWETA SHARMA 2016\Sankalp 2016.docx